राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 2735 /मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2020, रायपुर दिनांक 24/12/2020

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

विषय :– मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा भारत सरकार एवं अन्य विभागों को लिखे गये अर्द्धशासकीय पत्रों पर कार्यवाही बाबत्।

संदर्भः– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक 736/C8/2020, दिनांक 21.11.2020

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्राथमिकता वाले विषयों पर भारत सरकार को अर्द्धशासकीय पत्र पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति चाही गई है, जो निर्धारित प्रारूप में तैयार कर आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(धर्मेश कुमार साहू)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

ाग का नाम – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.	पत्र क्र. एवं दिनांक	किसको भेजा गया	विभाग का नाम	विषय का संक्षिप्त विवरण/बिन्दु	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही बिंदुवार प्रगति/अद्यतन स्थिति (संक्षिप्त में)
1.	क्र.	PM, GOI	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)** 1. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 26.76 लाख परिवार शौचालय विहीन तथा 5.96 लाख शौचालय अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त। 2. प्रदेश में लक्षित 26.76 लाख शौचालयों के विरूद्ध आधारभूत सर्वेक्षण में बढ़े व छूटे हुए 6.47 लाख परिवार को शामिल कर कुल 33.23 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 3. व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण में हितग्राहियों को राशि जारी करने में लगभग 01 वर्ष तक का विलंब। 4. LWE क्षेत्रों में 52257 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण किया जाना शेष तथा इन क्षेत्रों में निर्माण हेतु रू. 12000/– की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 18000/– किया जाना। 5. दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु भी शौचालय निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में यह राशि 2 लाख के स्थान पर 5 लाख करने। 6. आधारभूत सर्वेक्षण 2012–13 में छूटे हुए 104809 परिवारों के लिए 125.77 करोड़ रूपयों की प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव नवंबर, 2018 में प्रेषित किया गया है, जो आज पर्यन्त अप्राप्त है। 7. ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु परिवार संख्या के आधार पर 07 से 20 लाख रूपये का प्रावधान है, गोबर–धन योजना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं है। 8. ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वसहायता समूहों के माध्यम से कचरे के संग्रहण एवं निपटारे का कार्य में संलग्न कर्मचारियों का मनरेगा से मजदूरी भुगतान पर रोक लगाने से कठिनाई।	1. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस–1 के अंतर्गत सभी शौचालय विहीन परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुका है। सभी क्षतिग्रस्त 5.96 लाख शौचालयों को उपयोग लायक बनाया जा चुका है। 2. सभी निर्माण कार्य पूर्ण। 3. सभी निर्मित शौचालयों की लंबित राशि का भुगतान पूर्ण हो चुका है। 4. LWE क्षेत्रों में 52257 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। 5. सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु नवीन मार्गदर्शिका में 3 लाख रूपये प्रति सामुदायिक शौचालय हेतु प्रावधानित की गई है। 6. बेसलाईन सर्वेक्षण में छूटे एवं बढ़े परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा एल.ओ.बी. एवं. एन.ओ.एल.बी./नवीन परिवार को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। 7. नवीन मार्गदर्शिका में ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट एवं गोबरधन योजना की राशि को पृथक पृथक कर दिया गया है। 8. ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वसहायता समूहों के माध्यम से कचरे के संग्रहण एवं निपटारे का कार्य में संलग्न कर्मचारियों का मनरेगा से मजदूरी भुगतान पर रोक जारी है। घर–घर यूजर चार्ज लेकर मजदूरी का भुगतान की व्यवस्था बनाई गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर 15वे वित्त से मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है।